

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)
समाहर्ता या समुचित सरकार
-: प्रारंभिक अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 179 / भू अ०

दिनांक : 01/02/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-तुम्बो जमनी, थाना-सारठ, थाना नं०-10, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा सिकिटिया (बवनगामा-पथरौल पथ पर) से शामलपुर-बोचबांध-डुबा-बनवरिया-जियाखारा-मनीगढ़ी (सारठ-देवघर पथ एन०एच० 114ए पर) पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- तुम्बो जमनी थाना- सारठ, थाना नं०-10, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.33 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	9	रैयती	बाड़ी-2	0.03	जयप्रकाश महतो वो हराधन प्र० यादव पे० स्व०मोतीलाल महतो वो नित्या नंद महातो वो दुखी महतो पिता भुसन महतो वो डुरो महतो पे० स्व० सकत महतो वो नंदलाल महतो पे० गोपी नाथ महतो वो हरिकिशोर महतो पे० स्व०चिन्तामनी महतो सा० देह	दास डीह, नं० 157	शाम लपुर नं०-13	शाम लपुर नं०-13	बोच बांध नं०-09
2	3	747	रैयती	बाड़ी-1	0.05	तथैव।				
3	3	748	रैयती	मकान में सहन	0.01	तथैव।				
4	6	5	रैयती	बाड़ी-2	0.01	झुना देवी पति हासो महतो वो नीरो देवी पति भुआ महतो वो पार्वती देवी पति रामेश्वर महतो वो रामदेव महतो पिता लाडु महतो वो भगलू महतो वो बालगोविन्द महतो वो बालेश्वर महतो वो जर्नादन महतो वो पंचानंद महतो पे० मिश्री महतो अंश समान सा० देह				
5	7	3	रैयती	बाड़ी-2	0.05	विनोदी देवी पति डिलो महतो वो उगनी देव्या पति प्यारी महतो वो शुकदेव महतो वो कामदेव महतो पे० नूनलाल महतो वो सुचन महतो वो दामोदर महतो पे० हरि महतो वो उर्मिला देवी पति गोनो महतो वो शुशीला देव्या पति अमीन महतो वो हीरा महतो वो देवी महतो वो वनवारी महतो पे० शुकर महतो अंश समान जदूवो महतवाईन जौजे भगतु महतो				
6	8	753	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तारकेश्वर महतो पे० थनु महतो सा० देह				
7	8	6	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।				
8	10	750	रैयती	मकान में सहन	0.015	सुभाष राय, पे० पेंतर राय				

9	12	7	रैयती	बाड़ी-2	0.01	बालेश्वर महतो पे० अंग्रेज महतो वो जयप्रकाश महतो पे० इन्दो महतो वो दशरथ महतो वो नकुल महतो वो नुनेश्वर महतो पे० सत्यनरायण महतो वो कामदेव महतो पे० मथुरा महतो अंश समान सा० देह
10	15	8	रैयती	बाड़ी-2	0.005	रितलाल महतो वो तिखुर महतो पे० मुन्ना महतो वो सिरन महतो पे० रूपलाल महतो वो सुदामा देवी पति सुर्यु महतो वो अमीनी देव्या पति गोविन्द महतो वो दामोदर महतो वो झुपर महतो वो अर्जुन महतो पे० मुंशी महतो अंश सामान सा० देह
11	19	739	रैयती	धानी-3	0.01	विशेषर महतो वो भुवनेश्वर महतो पे० रामप्रसाद वो सुगी देव्या पति नन्द कुमार महतो वो पशुपति महतो वो ओकारेश्वर महतो वो जियानंद यादव पे० मडु महतो वो विष्णु प्र० महतो वो जगरनाथ महतो पे० जगदीश महतो अंश समान सा० देह
12	19	740	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।
13	19	11	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।
14	26	741	रैयती	बाड़ी-1	0.015	पार्वती देवी पति शंशी महतो वो अशोक महतो पे० कांशी महतो वो दुवेश्वर महतो पे० तुलसी महतो वो शिवशंकर महतो उर्फ अरुण महतो पे० वैजनाथ महतो वो महेन्द्र महतो वो राजेन्द्र महतो वो देवेन्द्र महतो वो विजय महतो वो राजेश महतो पे० कमल महतो वो अरवा देवी पति महादेव महतो वो योगेन्द्र महतो पिता हरजौरी महतो वो कार्तिक महतो पे० बट्टी महतो वो नागेश्वर महतो वो सुरेन्द्र महतो वो बालदेव महतो पे० भीष्म महतो वो नारायण महतो वो शिरोमणी महतो वो जागो महतो वो शुकदेव महतो पे० शीतल महतो वो नुनदेव महातो पे० सहदेव महतो अंश समान सा० देह।
15	26	10	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।
16		752			0.02	मुस्तवाहा
कुल रकवा-					0.33	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण

यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकती।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
24/1/20

अपर समाहर्ता
देवघर
28-01-2020

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।
28/1/2020

ज्ञापांक / भू अ०, देवघर, दिनांक

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
24/1/20

अपर समाहर्ता
देवघर
28-01-2020

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।
28/1/2020